(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2109–दो/ 2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–07–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 557/1996–97 निगरानी

(1) प्रकाश राव उर्फ दत्तात्रय पुत्र व्दारकानाथ
(मृतक)वारिस
1– श्रीमती सुनीता उर्फ ज्योति पत्नि स्व. प्रकाश
2– ह्वारकेश अवयस्क पुत्र प्रकाशराव उर्फ दत्तात्रय
3– कु0 कोमल 4– कु. कंचन अवयस्क
पुत्रियां स्व.प्रकाशराव उर्फ दत्तात्रय
संरक्षक माता सुनीता उर्फ ज्योति
सभी निवासीगण 54 साईनाथ कलोनी
वैभव नगर इन्दौर मध्य प्रदेश
(2) प्रदीप पुत्र व्दारका नाथ बक्षी
(मृतक)वारिस
1– श्रीमती प्रीति पत्नि स्व. प्रदीप
2– रोहित पुत्र स्व. प्रदीप वक्षी, निवासी वक्षी
साहव का बाड़ा कंपू रोड लश्कर ग्वालियर
3– कु.जयश्री पुत्री व्दारकानाथ वक्षी निवासी
कंपू लश्कर ग्वालियर । ---आवेदकगण

विरूद्ध

(1) रमेशनारायण पुत्र बैजनाथ प्रसाद ब्राहमण
(बिओलाद मृतक)वारिस भाई अनावेदक 1,2
(2) सत्यनारायण पुत्र बैजनाथ प्रसाद ब्राहमण
(मृतक)वारिस
1– श्रीमती कमला पत्नि स्व.सत्यनारायण
2– शिवशंकर 3– प्रवीश 4– अवधेश 5– श्रीनिवास
चारों पुत्रगण स्व.सत्यनारायण शर्मा निवासी
आर्य नगर नाले के पास तहसील व जिला भिण्ड
(3) जगदीश प्रसाद पुत्र बैजनाथ शर्मा
(मृतक)वारिस
1– श्रीमती रामकली पत्नि स्व.जगदीनारायण

2- रामअवतार 3- भगवंतराम 4- शिवकुमार
पुत्रगण स्वर्गीय जगदीशनारायण शर्मा
5- जयकिशोर पुत्र स्वर्गीय जगदीशनारायण शर्मा
(मृतक)वारिस
1- श्रीमती रामवर्ती पत्नि स्व0 जयकिशोर शर्मा
2- विवेक पुत्र स्व. जयकिशोर शर्मा
सभी निवासीगण माधवगंज हाट गली भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 557/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-07-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व. प्रकाश राव, स्व.प्रदीप एंव सुश्री जयश्री ने तहसीलदार भिण्ड के समक्ष दिनांक 3-3-1992 को आवेदन देकर मॉग रखी कि ग्राम चन्दूपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 340 रकबा 2 वीघा 1 विसवा, सर्वे नंबर 341 रकबा 12 विसवा, सर्वे नंबर 342 रकबा 1 वीघा 1 विसवा, सर्वे नंबर 343 रकबा 17 विसवा कुल किता 4 कुल रकबा 4 वीघा 11 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) वर्तमान में खसरे में उनके हिस्सा 4/5 पर एंव अनावेदकगण जगदीश नारायण, रमेश, सत्यनारायण एंव राजावेटी हिस्सा 1/5 केभ ूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चले हैं। इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल एंव मान. उच्च न्यायालय तक मुकदमे चले हैं तथा मुकदमें अंतिम रूप से निरस्त हो चुके हैं जिसके आधार पर आवेदकगण भूमिस्वामी हैं। अतः उक्त भूमि के हिस्सा 4/5 के

बजाय पूरी भूमि पर नाम इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 286 बी 121/1991-92 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-6-1995 पारित करके आवेदकों का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 69/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-1997 से तहसीलदार भिण्ड का आदेश दिनांक 28-6-95 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के यहॉ निगरानी क्रमांक 557/1996-97 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-07-2001 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 30-4-97 निरस्त करते हुये तहसीलदार भिण्ड के आदेश दिनांक 28-6-1995 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि स्व. प्रकाश राव, स्व.प्रदीप एंव सुश्री जयश्री ने तहसीलदार भिण्ड के समक्ष दिनांक 3-3-1992 को आवेदन देकर ग्राम चन्दूपुरा स्थित वादग्रस्त भूमि मे उनका हिस्सा 4/5 व अनावेदकगण अनावेदकगण का हिस्सा 1/5 अंकित चले आने के कारण पूरी भूमि पर नाम इन्द्राज करने की मांग की थी।

तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 286 बी 121/1991-92 पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-6-1995 पारित करके आवेदकों का आवेदन निरस्त कर दिया और इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने इस कारण निरस्त किया है क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार ने 28-1-1972 को पारित आदेश अनुसार कागजात में अमल किया जाना छूट गया था जबकि तत्कालीन तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-1-1972 अपीलीय न्यायालयों से स्थिर रखा गया है जो वर्तमान स्थिति में Res-judicata (प्राड.न्याय) का रूप ले चुका है और अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-4-1997 को इस आधार पर निरस्त किया है क्योंकि आवेदकगण ने 30 वर्ष तक वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का पालन क्यों नहीं कराया।

5/ प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति प्रकट हुई है कि उभय पक्ष के बीच तत्कालीन तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-1-1972 के वाद माननीय व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी भिण्ड के न्यायाल में स्वत्व का वाद कमांक 40-ए/1974 प्रचलित हुआ जो आदेश दिनांक 20-5-1978 से निर्णीत हुआ। तत्पश्चात् इस आदेश के विरूद्ध मान. द्वित्तीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण कमांक 21-ए/1978 पर द्वित्तीय अपील प्रचलित रही, जो आदेश दिनांक 19-5-79 से निर्णीत हुई है। इसके वाद माननीय उच्च न्यायालय में द्वित्तीय अपील कमांक 189/1979 प्रचलित हुई, जो आदेश दिनांक 21-10-1991 से निर्णीत हुई। तत्पश्चात् आवेदकगण ने तहसीलदार भिण्ड के समक्ष आवेदन दिनांक 3-3-1992 प्रस्तुत कर संपूर्ण वादग्रस्त भूमि उनके नाम किये जाने की मांग रखी, स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार भिण्ड के प्रकरण कमांक 44/1967-68X110 में

पारित आदेश दिनांक 28-01-1972 का अमल विभिन्न दीवानी न्यायालयों में वाद विचाराधीन रहने से राजस्व न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो सका, परन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 557/1996-97 निगरानी आदेश दि. 31-07-2001 पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जब तत्कालीन तहसीलदार भिण्ड के प्रकरण कमांक 44/1967-68X110 में पारित आदेश दिनांक 28-01-1972 संज्ञान में आ चुका था, तब अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आदेश के अमल के निर्देश न देने में भूल की है, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 557/1996-97 निगरानी आदेश दिनांक 31-07-2001, अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 69/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-1997 एंव तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 286 बी 121/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 28-6-1995 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार भिण्ड को निर्देश दिये जाते हैं कि वह तत्कालीन तहसीलदार भिण्ड के प्रकरण कमांक 44/1967-68X110 में पारित आदेश दिनांक 28-01-1972 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अमल की कार्यवाही संपादित करें।

for

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर